42

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1053–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 474/अपील/14–15.

संतरा बाई पत्नी स्व. मूरतसिंह
निवासी ग्राम तुलसीपार
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– जितेन्द्र सिंह आत्मज महेन्द्रसिंह
2– नवनीतसिंह आत्मज महेन्द्रसिंह
3– श्रीमती केशरसिंह महिला मित्र मूरतसिंह
4– गुलाबसिंह आत्मज परमसुख
निवासीगण ग्राम तुलसीपार
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री यशपाल, अभिभाषक, आवेदिका
श्री आर.के. जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, बम्होरी के समक्ष उभय पक्ष द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर स्व. भूमिस्वामी मूरतसिंह उर्फ रोकड़ सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम तुलसीपार स्थित भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक

26/अ–6/11–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 6–11–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर उभय पक्ष का वसीयतनामा के अनुसार नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–3–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–3–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका स्व. भूमिस्वामी मूरतसिंह की पत्नी होकर एकमात्र उत्तराधिकारी है, और वह अशिक्षित महिला है, आवेदिका द्वारा कभी भी किसी न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयतनामा के संबंध में अपनी कोई सहमति नहीं दी गई है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदिका निःसंतान होकर स्व. भूमिस्वामी मूरतसिंह की एकमात्र उत्तराधिकारी है, और उसके अतिरिक्त स्व. भूमिस्वामी मूरतसिंह का अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में वसीयतनामा विधिवत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है, इस कारण भी उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में अपर लेखन है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश सहमति के आधार पर पारित होना मानकर विधिसंगत मान्य किया गया है, जबकि आवेदिका किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, 102 सहपठित धारा 31 के अंतर्गत स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य होती है, और आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में दिये गये कथन दिनांक

29–9–2011 से स्पष्ट है कि पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित होने में आवेदिका की सहमति थी, और नामांतरण में भी उसके द्वारा सहमति दी गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों में आवेदिका द्वारा सहमति स्वरूप दी गई स्वीकारोक्ति को आक्षेपित नहीं किया गया है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश हैं ।

(3) उप पंजीयक के समक्ष भूमिस्वामी द्वारा उपस्थित होकर हस्ताक्षर एवं अंगूठा अंकित किये गये हैं, ऐसी स्थिति में वह वसीयत की स्वयं साक्षी है, और उनकी स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य है ।

(4) आवेदिका संतराबाई एवं केशरबाई भूमिस्वामी स्व. मूरतसिंह की पत्नियां हैं, और निःसंतान हैं तथा उनके द्वारा वसीयतनामा एवं नामांतरण में सहमति दी गई है ।

(5) आवेदिका के अभिभाषक यशपाल स्वयं दत्तक पुत्र होने का उल्लेख किया गया है, और आवेदिका कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है, और न ही उसके द्वारा कथन किया गया है । आवेदिका के अभिभाषक केवल आवेदिका को वृद्ध महिला बताकर उसे ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं ।

(6) वसीयत करने में वसीयतकर्ता की मनोदशा देखी जाती है, और उसके हस्ताक्षर देखे जाते हैं । उक्त दोनों बिन्दुओं को आवेदिका द्वारा नकारा नहीं गया है ।

(7) साक्ष्य अधिनियम की आधारा 68 के अंतर्गत वसीयतनामा को प्रमाणित किया गया है, और तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदिका संतराबाई, केशरबाई व गुलाबसिंह के कथन अंकित किये गये हैं, जिनमें उनके द्वारा वसीयतनामा को स्वीकार किया गया है ।

(8) तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, और सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 1960 (SC) 100, 1991 मनीषा–42 (SC), 2008 जे.एल.जे. (I) 356, 2009 ILR 3250 (SC), 2012 WN (II) 79, 2008 WN (III) 57 (SC), 1995 आर.एन. 356, 1970 आर.एन. 333 (SC), 1979 आर.एन. 474, 2015 आर.एन. 94(HC), 2016 आर. 43 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर